परिवर्तन

(गुणवत्त शिक्षा हेतु पहल)

1.1. प्रस्तावनाः

शैक्षणिक वर्ष 2015–16 में प्रारंभिक विद्यालयों में गुणवत्त शिक्षा हेतु कई अभिनव प्रयोग किये गये हैं । इसमें मुख्य रूप से आदर्श विद्यालयों की पहचान एवं विकास, प्रत्येक जिलों से राज्य साधनसेवियों का चयन, बच्चों के तत्परता हेतु खेल–खेल में पुस्तक निर्माण, बुनियाद एवं बुनियाद प्लस इत्यादि मुख्य है । विगत एक वर्ष के प्रयास एवं सकारात्मक सोंच के आधार पर आज राज्य के सभी जिलों में गुणवत्त शिक्षा के विकास एवं कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन पर साझी–समझ विकसित हुई है । विगत एक वर्षो में निरंतर संवाद एवं कार्यशालाओं के माध्यम से विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा अपनाये जा रहे नवाचारी प्रयोग ने यह सिद्ध किया है कि विद्यालयों में गुणवत्त शिक्षा को लागू करना असंभव नहीं है ।

दिनांक 20–21 फरवरी, 2016 को झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची के सभागार में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई कि गुणवत्त शिक्षा हेतु राज्य से लेकर प्रखण्ड स्तर तक एक समूह का गठन किया जाय तथा इनके लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार की जाए ताकि शैक्षणिक वर्ष 2016–17 में गुणवत्त शिक्षा को केन्द्रबिन्दु में रखते हुए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं शिक्षकों, बच्चों एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ सीधा संवाद स्थापित हो सके ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आलोक में ‘‘परिवर्तन’’ की परिकल्पना की गई है ।

1.2 उद्देश्यः

‘‘**परिवर्तन**’’का मुख्य उद्देश्य राज्य से लेकर विद्यालय स्तर पर गुणवत् शिक्षा हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं में शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करते हुए ससमय कार्यक्रमों को संचालित करते हुए बेहतर एवं वांछित उपलब्धि को प्राप्त करना है ।इस समूह द्वारा विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में अनुसमर्थन प्रदान करते हुएमहत्वपूर्ण विषयों यथा– कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार, सर्वव्यापी पहुंच, समावेशी शिक्षा एवं क्षमता निर्माण इत्यादि पर सुझाव देगी ताकि

प्रभावशाली तरीके से इच्छित परिणाम हो एवं क्षेत्र स्तर पर हो रही कठिनाईयों का निराकरण तथा मार्गदर्शन किया जा सके ।

''**परिवर्तन**''का मुख्य केंद्रबिंदु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना होगा, जिसमें मुख्य रुप से सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत किए जा रहे कार्यो यथा– बुनियाद, बुनियाद प्लस, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, अधिगम उन्नयन कार्यक्रम, खेल–खेल में, विद्यालय गोद लेना, हमारा विद्यालय, पहले पढ़ाई फिर विदाई, प्रयास इत्यादि कार्यक्रमों पर अनुसमर्थन एवं इसके आधार पर अधिगम उन्नयन की वृद्धि एवं इसमें आवश्यक विकास को गति देना है ।

1.3. योजनाः

''परिवर्तन''दलका गठन तीन स्तर पर किया गया है । यह राज्य स्तर से लेकर प्रखण्ड स्तर तक होगा तथा इसमें सभी स्तर पर गुणवत्त शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न पदाधिकारी/कर्मी एवं शिक्षकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है । सदस्यों का चयन इस रूप में किया गया है कि सभी मुख्य कार्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हो सकें। इस समूह द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्रति माह अपने अधीनस्थ क्षेत्रों का चक्रानुक्रम में भ्रमण किया जाएगा।

1.4. स्वरूपः

''**परिवर्तन**''दलनिम्नरूपेण गठित होगा–

- **राज्य स्तरीयदल :**
  - सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग– अध्यक्ष
  - निदेशक, प्राथमिक शिक्षा – सदस्य
  - निदेशक, माध्यमिक शिक्षा – सदस्य
  - राज्य परियोजना निदेशक, झा.शि.प.परिषद्, राँची– सदस्य सचिव
  - राज्य परियोजना निदेशक, झा.मा.शि.प.परिषद्, राँची– सदस्य
  - उप–निदेशक, प्राथमिक शिक्षा – सदस्य
  - उप–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा – सदस्य
  - प्रशासी पदाधिकारी, झा.शि.प.परिषद्, राँची– सदस्य
  - प्रशासी पदाधिकारी, झा.मा.शि.प.परिषद्, राँची– सदस्य
  - यूनिसेफ,झारखण्ड के प्रतिनिधि – सदस्य
  - सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक– सदस्य
  - विशेषज्ञ, गुणवत्त शिक्षा, झा.शि.प.परिषद– सदस्य

- विशेषज्ञ, अनुश्रवण शोध एवं मूल्यांकन, झा.शि.प.परिषद– सदस्य
- राज्य प्रभाग प्रभारी, बालिका शिक्षा, झा.शि.प.परिषद– सदस्य
- सभी प्रमण्डलों से एक–एक राज्य साधन सेवी – सदस्य
  (संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा मनोनीत किया जाएगा)
- सभी प्रमण्डलों से एक–एक वार्डेन–सदस्य
  (संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा मनोनीत किया जाएगा)

- **जिला स्तरीय दलः**
  - उपायुक्त – अध्यक्ष
  - जिला शिक्षा पदाधिकारी– सदस्य
  - जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी– सदस्य सचिव
  - जिला प्रभारी, गुणवत्त शिक्षा – सदस्य
  - जिला बालिका शिक्षा प्रभाग प्रभारी– सदस्य
  - जिला से एक वार्डेन – सदस्य
    (जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा मनोनीत किया जाएगा)
  - जिला के सभी राज्य साधन सेवी– सदस्य
  - एक बी.आर.पी. एवं एक सी.आर.पी – सदस्य
  - स्वयं सेवी संस्था के एक प्रतिनिधि – सदस्य

- **प्रखण्ड स्तरीय दलः**
  - प्रखण्ड विकास पदाधिकारी – अध्यक्ष
  - प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी – सदस्य सचिव
  - एक प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी – सदस्य
  - प्रखण्ड में कार्यरत चार अनुभवी एवं समर्पित शिक्षक– सदस्य
    (जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा मनोनीत किया जाएगा)
  - प्रखण्ड में कार्यरत दो बी.आर.पी. एवं दो सी.आर.पी. – सदस्य
    (जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा मनोनीत किया जाएगा)
  - वार्डेन – सदस्य

1.5. दलका कार्यः

''परिवर्तन'' दल का कार्य निम्नवत् होगाः–

दल का स्तर	कार्य
राज्य स्तरीय दल	○ प्रत्येक माह कम–से–कम एक उच्च विद्यालय (+2 सहित), एक मध्य विद्यालय, एक प्राथमिक विद्यालय, एक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय,एक नव प्राथमिक विद्यालय, एक संकुल संसाधन केंद्र, एक प्रखंड संसाधन केंद्र तथा दो कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन ○ मासिक बैठक का आयोजन ○ राज्य स्तर पर गुणवत्त शिक्षा हेतु योजनाओं का निर्माण एवं सदस्यों का उन्मुखीकरण ○ राज्य स्तरीय दल द्वारा विगत माह में भ्रमण एवं शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान किये गये जिलों/विद्यालयों पर प्रस्तुतीकरण एवं विमर्श ○ जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय दल द्वारा विगत माह में किये गये पहल पर चर्चा एवं आवश्यक सुझाव ○ जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय दल से प्राप्त सुझावों पर विमर्श एवं सहमति की स्थिति में योजनाओं में समावेश ○ अगले माह की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया का निर्धारण ।
जिला स्तरीय दल	○ प्रत्येक माह प्रत्येक प्रखण्ड के कम–से–कम एक उच्च विद्यालय (+2 सहित),एक मध्य विद्यालय, एक प्राथमिक विद्यालय, एक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय,एक नव प्राथमिक विद्यालय, एक संकुल संसाधन केंद्र, एक प्रखंड संसाधन केंद्र तथा दो कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन ○ मासिक बैठक का आयोजन ○ जिला स्तर पर गुणवत्त शिक्षा हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति एवं राज्य स्तर से प्राप्त नयी योजनाओं पर सदस्यों का उन्मुखीकरण ○ राज्य/जिला/प्रखण्ड स्तरीय दल द्वारा विगत माह में भ्रमण एवं अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किये गये

	जिलों/विद्यालयों पर प्रस्तुतीकरण एवं विमर्श ○ जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय दल द्वारा विगत माह में किये गये पहल पर चर्चा एवं आवश्यक सुझाव ○ राज्य एवं प्रखण्ड स्तरीय दल द्वारा प्राप्त सुझावों पर विमर्श एवं अनुपालन हेतु रणनीति का निर्माण । ○ अगले माह की योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया का निर्धारण ।
प्रखण्ड स्तरीय दल	○ प्रत्येक माह प्रत्येक पंचायत से कम–से–कम एक उच्च विद्यालय (यदि उपलब्ध हो तो), एक मध्य विद्यालय, एक प्राथमिक विद्यालय, एक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय एक नव प्राथमिक विद्यालय, एक संकुल संसाधन केंद्र, एक प्रखंड संसाधन केंद्र तथा कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन ○ मासिक बैठक का आयोजन ○ प्रखण्ड स्तर पर गुणवत्त शिक्षा हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति एवं राज्य/जिला स्तर से प्राप्त नयी योजनाओं पर सदस्यों का उन्मुखीकरण ○ राज्य/जिला/प्रखण्ड स्तरीय दल द्वारा विगत माह में भ्रमण एवं अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किये गये जिलों/विद्यालयों पर प्रस्तुतीकरण एवं विमर्श ○ जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय दल द्वारा विगत माह में किये गये पहल पर चर्चा एवं आवश्यक सुझाव ○ राज्य/जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय दल द्वारा प्राप्त सुझावों पर विमर्श एवं अनुपालन हेतु रणनीति का निर्माण । ○ अगले माह की योजना का निर्माण एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया का निर्धारण ।

1.6. ''परिवर्तन'' दल के कार्यों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है–

1. **गुणवत्त शिक्षा हेतु दल के सदस्यों द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों का अवलोकनः–**दल के सदस्यों द्वारा सर्वप्रथम विद्यालयों का

भौतिक अवलोकन किया जायेगा । इसमें मुख्य रूप से विद्यालय के भवन की स्थिति, रंगाई–पुताई, शौचालय एवं पेयजल की सुविधा, मध्याह्न भोजन हेतु किचन शेड, खेल–कूद हेतु मैदान की उपलब्धता, किचन गार्डेन, बागवानी, सभी वर्गकक्ष में श्यामपट्ट, चौक, डस्टर की उपलब्धता, साईंस किट, गणित किट, शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता, खेल–कुद सामग्री, बच्चों के बीच पाठ्य–पुस्तक, पोशाक, स्कूल किट का वितरण इत्यादि मुख्य हैं । दल के सदस्य उपर्युक्त सभी मुद्दों पर शिक्षकों के साथ रणनीति तैयार करेंगे तथा उसके प्रभावी कार्ययोजना के अनुपालन में शिक्षकों को आवश्यक अनुसमर्थन प्रदान करेंगे ।

2. **विद्यालय प्रबंध समिति के कार्यों का विश्लेषण एवं सशक्तिकरण :–**दल का दूसरा मुख्य कार्य विद्यालय प्रबंध समिति से संवाद स्थापित करना तथा कुशल विद्यालय प्रबंधन में इनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है । गुणवत्त शिक्षा में विद्यालय प्रबंध समिति की भूमिका महत्वपूर्ण है । शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अनुसार विद्यालयों में संचालित गतिविधियों की जानकारी विद्यालय प्रबंध समिति को प्राप्त करना है तथा समिति को विद्यालय के लिए प्रत्येक वर्ष योजना का भी निर्माण करना है ।

3. **प्रयास कार्यक्रम (नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव) :–** पोषक क्षेत्र का सीमांकन एवं इसमें निवास करने वाले 6–14 आयुवर्ग के बच्चों की सूची संधारित करना तथा इसके आधार पर विद्यालयों में शत् प्रतिशत नामांकन करते हुए शत् प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित करना मुख्य है । दल के सदस्यों का कार्य है कि वे विद्यालय स्तर पर प्रयास कार्यक्रम के तहत संधारित आँकड़ों का विश्लेषण करें तथा शिक्षकों, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों तथा बाल संसदों के साथ विद्यालय से बाहर रह गये बच्चों को विद्यालय से जोड़ने हेतु विद्यालयवार रणनीति का निर्माण करेंगे ।

4. **विद्यालय स्तर पर गुणवत्त शिक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन, अवलोकन, मूल्यांकन एवं अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करनाः–**''परिवर्तन'' दल का यह सबसे अहम कार्य है । दल के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य स्तर से निर्धारित गतिविधियों का विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन में आवश्यक अनुसमर्थन प्रदान करेंगे ।

- विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों के साथ सीधा संवाद ।
- विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों का शिक्षकों के सहयोग से स्तर निर्धारण एवं तदनुसार वर्गकक्ष का संचालन ।
- प्रभावी तरीके से प्रार्थना सभा का आयोजन एवं प्रार्थना सभा को वर्गकक्ष गतिविधि से जोड़ना ।
- प्रत्येक शनिवार को नैतिक शिक्षा/व्यक्तित्व विकास हेतु वर्ग संचालन
- कक्षा 1 एवं 2 हेतु बुनियाद, कक्षा 3–5 हेतु बुनियाद प्लस एवं कक्षा 6–8 हेतु प्रयोगात्मक गतिविधि का संचालन ।
- बाल संसद का निरंतर सहयोग एवं उत्साहवर्धन ।
- बच्चों में पठन–पाठन के प्रति रूचि पैदा करने हेतु आवश्यक पहल ।
- विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का भरपूर उपयोग ।
- विद्यालय को प्राप्त होने वाले विभिन्न अनुदान यथा– विद्यालय विकास, शिक्षण अधिगम एवं मरम्मति अनुदान इत्यादि का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग ।

- उपर्युक्त **बिन्दुओं** के आलोक में दल के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधीनस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों की एक विस्तृत कार्ययोजना के निर्माण में विद्यालय स्तरीय लोगों को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे तथा ससमय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रोत्साहित करेंगे ।

- **''परिवर्तन''**दल द्वारा प्रत्येक माह भ्रमण के दौरान प्रत्येक जिले के कम–से–कम एक मध्य विद्यालय एक प्राथमिक विद्यालय, एक उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय,एक नव प्राथमिक विद्यालय, एक संकुल संसाधन केंद्र, एक प्रखंड संसाधन केंद्र तथा दो कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन किया जाएगा ।
- **''परिवर्तन''** दल द्वारा भ्रमण किये गये विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का संचालन, भोजन की गुणवत्ता, साप्ताहिक मेनू, रसोई घर की उपलब्धता एवं उसकी साफ–सफाई, साप्ताहिक मेनू में तीन दिन अण्डा/फल का समावेश, खाद्यान्न एवं राशि की अद्यतन स्थिति इत्यादि का अवलोकन

किया जाएगा एवं मानकों से विचलन की स्थिति में आवश्यक सुझाव/मार्गदर्शन/अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा ।

- **''परिवर्तन''** दल द्वारा भ्रमण किए गए विद्यालयों का एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जायेगा तथा भ्रमण पश्चात् जिला/प्रखण्ड स्तरीय बैठक में चर्चा करेंगे तथा उस पर उपस्थित पदाधिकारियों के सुझाव प्राप्त करेंगे ।

1.7. अपेक्षाएँः

- **''परिवर्तन''** दल के सदस्य क्षेत्र भ्रमण के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर अपनायी गई किसी नवाचारी गतिविधियों का संचालन का अवलोकन करते हैं तो उसकी पूर्ण सूचना प्राप्त करेंगे । क्षेत्र में यदि कोई सफल कहानी प्राप्त होती है तो उसका दस्तावेजीकरण करेंगे । कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के दौरान यदि किसी स्तर पर वित्तीय अनियमितता, कार्य के प्रति लापरवाही अथवा शिथिलता दृष्टिगोचर होती है तो इन मुद्दों पर दल से आवश्यक सुझाव की अपेक्षा है ।
- **''परिवर्तन''** दल से यह भी अपेक्षा है कि वे क्षेत्र भ्रमण के दौरान सर्व शिक्षा अभियान एवं मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रावधानित मानकों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों का अवलोकन करेंगे एवं यदि इसमें किसी प्रकार की विचलन की स्थिति पाई जाती है तो उसपर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सुझाव प्रदान करेंगे ।साथ हीस्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,झारखण्ड सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों का क्षेत्रीय स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

1.8. सर्व शिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु संपूर्ण भारत में संचालित है । सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कि अनुच्छेद 21–Aके अंतर्गत संवैधानिक बाध्यता है, को दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया है ।

यह कार्यक्रम सघन अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन प्रक्रिया पर केंद्रित है, जिसमें गुणवत्त शिक्षा को प्राथमिक के आधार पर शामिल किया गया है ।झारखंड राज्य

में 2016–17 से इस **''परिवर्तन'' दल**के द्वारा गहन अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन प्रदान किया जायेगा ।इस दल द्वारा प्रत्येक स्तर पर विद्यालयों को गुणवत्त शिक्षा हेतु आवश्यक अनुसमर्थन एवं सहयोग प्रदान की जायेगी ।

1.9. सर्व शिक्षा अभियान के मुख्य हस्तक्षेपः

I. सर्वव्यापी पहूंच (Access)

- असेवित टोलों में रहनेवाले बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा तक पहूंच सुनिश्चित करने हेतु रणनीति ।
- विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों की पहचान एवं उसके आच्छादन कवरेज की अद्यतन स्थिति, ग्राम शिक्षा पंजी (VER) का अद्यतनीकरण, पोषक क्षेत्र की अधिसूचना इत्यादि ।
- शौचालय एवं पेयजल की सुविधा इत्यादि ।

II. समदृष्टि (Equity)

- समदृष्टि मुद्दों की पहचान एवं उपलब्धि, नामांकन एवं ठहराव में लैंगिग अंतराल को कम करने तथा उसमें प्राप्त की गई उपलब्धि ।
- बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ''**पहले पढ़ाई, फिर विदाई**'' कार्यक्रम का आयोजन ।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन एवं उसके शिक्षण हेतु विद्यालयी व्यवस्था को सशक्त करना एवं आवश्यक सहायक संरचनाओं का विकास करना ।

III. गुणवत्त शिक्षाः

- वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रारंभ किए गए गुणवत्त शिक्षा कार्यक्रम के कियान्वयन की स्थिति एवं अनुसमर्थन।
- जिलों द्वारा विद्यालय अनुश्रवण प्रक्रिया एवं राज्य स्तरीय अधिगम मूल्यांकन अध्ययन का अवलोकन एवं सहयोग ।
- कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय सहित बाह्य संस्थानों द्वारा किये गए मूल्यांकन एवं शोध, निरीक्षण, अनुश्रवण एवं शिक्षक–छात्र अनुपस्थिति अध्ययन एवं "**प्रयास कार्यक्रम**"का अवलोकन एवं आवश्यक अनुसमर्थन प्रदान करना ।

- जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर कार्यरत सभी पदाधिकारियों द्वारा एक–एक विद्यालय को गोद लेना एवं उस विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना ।
- ''**हमारा विद्यालय**'' को दृष्टिपथ में रखते हुए विद्यालय में शैक्षणिक माहौल बहाल करना ।
- ''**प्रयास**'' कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रा–छात्र अनुपस्थिति हेतु की जा रही कार्रवाई का पर्यवेक्षण एवं अनुसमर्थन ।

1.10. मध्याह्न भोजन योजना

- झारखण्ड राज्य के गठन के उपरांत वर्ष 2005 से राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का संचालनzero tolerance के आधार पर किया जा रहा है । इस योजना के अंतर्गत वर्ग 1 से 5 एवं 6 से 8 के छात्र–छात्राओं को प्रतिदिन क्रमशः 300 कैलोरी एवं 450 कैलोरी तथा 20–30 ग्राम प्रोटीनयुक्त भोजन उपलब्ध करायी जा रही है । यह योजना विद्यालय स्तर पर गठित सरस्वती वाहिनी समिति के द्वारा किया जाता है जो कि ग्राम शिक्षा समिति के उप समिति के रूप में कार्य करती है । सरस्वती वाहिनी समिति अपने सदस्यों में से एक संयोजिका एवं दो उप संयोजिका का चयन करती है । सरस्वती वाहिनी समिति में सभी अभिभावक माताएँ सदस्य के रूप में चयनित होती है । मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन इसी समिति के द्वारा विद्यालय स्तर पर किया जाता है ।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य शत्–प्रतिशत नामांकन करना एवं बच्चों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना है । इसके साथ ही बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है ताकि कुपोषण से शिकार होकर बच्चे शिक्षा से विमुक्त तथा विद्यालय से छीजित न हों ।
- राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2015 से सप्ताह में तीन दिन अण्डा उपलब्ध कराने हेतु योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री,झारखण्ड के कर कमलों द्वारा किया गया है । जो बच्चे अण्डा नहीं खाते हैं उनके लिए फल की व्यवस्था की गई है ।

1.11. मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े बिन्दु, जिसका अवलोकन किया जाना है–

- मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को साप्ताहिक मेनु के अनुसार मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है जिसमें पौष्टिकता को आधार में रखकर बच्चों को हरी सब्जियाँ, दाल, फल एवं तीन दिनअण्डे अथवा फल का समावेश रहता है ।
- सुरक्षित एवं स्वच्छ मध्याह्न भोजन के निर्माण हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि से मध्याह्न भोजन पकाने हेतु किचन शेड का निर्माण ।
- विद्यालय स्तर पर खाद्यान्न का उठाव एवं राशि की उपलब्धता ।
- खाना बनाने का स्थान स्वच्छ एवं सुरक्षित रखना ।
- विद्यालय में दैनिक स्वाद जाँच एवं स्वाद पंजी संधारित करना ।
- मध्याह्न भोजन में Agmark एवं Iodised युक्त नमक का इस्तेमाल सुनिश्चित करना ।
- मध्याहन भोजन बनाने तथा वितरण हेतु समुचित मात्रा में बर्त्तन की उपलब्धता ।
- पंक्तिबद्ध तरीके से भोजन का वितरण तथा तात–पटटी पर सुनियोजित ढंग से कतार में बैठाकर बच्चों को भोजन करवाना ।
- मध्याह्न भोजन के निर्माण, वितरण एवं रखरखाव में स्वच्छता एवं अन्य दिशा निर्देशों का अनुपालन ।

  नोट : मध्याहन् भोजन योजना के संचालन से संबंधित निर्गत SOP के अनुरूप क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ।

1.12. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानः

- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों का उच्च विद्यालयों में अवलोकन एवं आवश्यक मार्गदर्शन तथा अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करना ।
- उच्च विद्यालय (+2 सहित) में कम्प्यूटर शिक्षा, गणित/विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय इत्यादि का अवलोकन एवं इनकी उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु अनुसमर्थन प्रदान करना।